

झारखंड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- वि०प्रा०योजना-55/2011

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

गरिमा सिंह,  
निदेशक तकनीकी शिक्षा।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (तकनीकी शिक्षा निदेशालय),  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय का सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित विभिन्न मदों में उपबंधित कुल ₹0 1,52,82,000/- (₹0 एक करोड़ बावन लाख बैयरासी हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-274 दिनांक-31.03.2023 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 02/योजना दिनांक 11.05.2023 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय का सुदृढीकरण के लिए संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल ₹0 1,52,82,000/- (₹0 एक करोड़ बावन लाख बैयरासी हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है :-

| क्र०                                                        | इकाई का नाम         | OSP                                               | TSP                                              | Total          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                           | मजदूरी              | 6,00,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300001A6000103)  |                                                  | 6,00,000.00    |
| 2                                                           | संविदा भता          | 1,40,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300001A6000108)  |                                                  | 1,40,000.00    |
| 3                                                           | कार्यालय व्यय       | 16,00,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300001A6000315) | 3,72,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300796A6000315) | 19,72,000.00   |
| 4                                                           | कार्यालय उपकरण      | 19,00,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300001A6000317) |                                                  | 19,00,000.00   |
| 5                                                           | आपूर्ति एवं सामग्री | 78,00,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300001A6000323) |                                                  | 78,00,000.00   |
| 6                                                           | व्यावसायिक सेवाएँ   | 22,20,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300001A6000329) |                                                  | 22,20,000.00   |
| 7                                                           | पुस्तकालय           | 50,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300001A6000332)    |                                                  | 50,000.00      |
| 8                                                           | मोटर वाहन           |                                                   | 6,00,000.00<br>(विपत्र कोड-43S220300796A6000441) | 6,00,000.00    |
|                                                             | कुल                 | 1,43,10,000.00                                    | 9,72,000.00                                      | 1,52,82,000.00 |
| कुल 1,52,82,000/- (₹0 एक करोड़ बावन लाख बैयरासी हजार) मात्र |                     |                                                   |                                                  |                |

- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उप शीर्ष-A6-निदेशालय का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि ₹0 1,87,28,000/- (₹0 एक करोड़ सतासी लाख अठाईस हजार) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-A6-निदेशालय का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि ₹0 12,72,000/- (₹0 बारह लाख बहत्तर हजार) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
6. यह राशि State Scheme Code-1287 से संबंधित है।
7. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (तकनीकी शिक्षा निदेशालय) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड होंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक- 17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
11. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०न० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

ज्ञापांक- वि०प्रा०योजना-55/2011

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

ज्ञापांक- वि०प्रा०योजना-55/2011 - 02/बजट

/राँची, दिनांक-

18/05/2023

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिगंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड, निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक-II को Upload करने हेतु/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5

(गरिमा सिंह)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा